



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA  
मुख्य कार्यालय/Head Office



भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

वेबसाइट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

पत्र सं: हि.अनु/हि.शि.यो./संगठन/2017/वॉल-III/1152

दिनांक: 16-12-2024

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)/ मुख्यालय (प्र.से.प्र.),

सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1/ प्रभारी अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय/आं.प्र.सं.),

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, मुख्यालय (प्र.से.प्र.)।

विषय: हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण सत्र फरवरी, 2025 से जुलाई 2025 एवं हिंदी आशुलिपि सत्र फरवरी, 2025 से जनवरी, 2026 तक के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध के पत्र सं. 13/1/2024/उ.नि. (टं./आ.)/2213 दिनांक 24.10.2024 की प्रति (संलग्न) आपको सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय में हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों को उक्त सत्र में नामित कर प्रशिक्षण दिलवाएं।

कृपया कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवश्य सूचित करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीया,

(वीणा रानी यादव)

निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

क्ष.भ.नि.आ. (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।



सत्यमेव जयते

संख्या/No : 13/1/2024/उ.नि.(टं./आ.)/ 2213

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

हिंदी शिक्षण योजना/HINDI TEACHING SCHEME

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध

HINDI WORD PROCESSING/HINDI TYPING &amp; HINDI STENOGRAPHY TRAINING WING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,

आर. के. पुरम/R.K. Puram,

नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक/Dated: 24/10/2024

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)

निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्रबंधक (राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि नई दिल्ली।

विषय : हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण सत्र फरवरी, 2025 से जुलाई, 2025 एवं हिंदी आशुलिपि सत्र फरवरी, 2025 से जनवरी, 2026 तक के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का दीर्घकालिक प्रशिक्षण सत्र फरवरी, 2025 से आरम्भ होगा।

प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 13-14 फरवरी, 2025 (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) को होगा तथा प्रवेश "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। कक्षाएं 17 फरवरी, 2025 से आरम्भ होगी। हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक "क" पर दिया गया है। सभी प्रशिक्षार्थी अनिवार्य रूप से क्रमशः अपने-अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षार्थियों की कक्षा में नियमित रूप से उपस्थिति को सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान का होगा। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

| पाठ्यक्रम का नाम             | प्रशिक्षण की अवधि एवं परीक्षा  | पात्रता   | हिंदी में योग्यता   |
|------------------------------|--|---|---|
| हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण | <b>अवधि</b><br>फरवरी, 2025 से जुलाई, 2025 (6 माह, 1 घंटा प्रतिदिन)।<br><b>परीक्षा</b><br>जुलाई, 2025 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में। | केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक इसका प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। | हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि। |

### अनिवार्य

सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।

### स्वैच्छिक

1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए कें.हि.प्र.सं./हिं.शि.यो. के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

| पाठ्यक्रम का नाम | प्रशिक्षण की अवधि एवं परीक्षा   | पात्रता  | हिंदी में योग्यता   |
|------------------|---|--|---|
| हिंदी आशुलिपि    | फरवरी, 2025 से जनवरी, 2026 (1 वर्ष, 1 घंटा प्रतिदिन)<br><b>परीक्षा</b><br>जनवरी, 2026 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में। | <b>पात्रता</b> : केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।<br><b>अनिवार्य</b> : सभी वर्गों के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों एवं प्रधान निजी सचिवों हेतु।<br><b>स्वैच्छिक</b> : हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ टंककों को भी कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय यह प्रमाणित करे कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। परंतु ये कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे। | हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राप्ति |

- यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला "कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" इस हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण का विकल्प नहीं है। अतः ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने उक्त "बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण" प्राप्त किया है, इस आधार पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

### वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-रा.भा(प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 70% अंक तथा राजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक 75% अंक प्राप्त करने पर ही वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर दो वेतन-वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर, निर्धारित प्रतिशत अंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नकद पुरस्कार आदि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के संबंधित कार्यालयों द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

## हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर                        | ₹ 2400/- |
| 2 | 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 1600/- |
| 3 | 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 800/-  |

## हिंदी आशुलिपि

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर                        | ₹ 2400 |
| 2. | 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 1600 |
| 3. | 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 800  |

## परीक्षा शुल्क :

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क है, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट द्वारा या अनुलग्नक "ख" पर उल्लिखित विधि के अनुसार "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/ Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi" को ऑनलाइन किया जा सकता है।


## नामांकन विधि

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण निर्धारित नामांकन प्रपत्र में दिनांक 30 जनवरी, 2025 तक सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- नामांकन अनुलग्नक 'घ' पर निर्धारित नामांकन प्रपत्र में ही भेजा जाए। सभी विवरण अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में भरे जाएं। नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का स्पष्ट उल्लेख किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अनुलग्नक "ग" में अवश्य दर्शाई जाए।
- आधे-अधूरे भरे गए नामांकन प्रपत्र बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
- प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी नामित कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों पर निर्धारित तारीखों को समय पर पहुंच जाना चाहिए। प्रशिक्षार्थियों को कक्षाओं में प्रवेश के लिए दिनांक 13-14 फरवरी, 2025 (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) को प्रशिक्षण केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा।
- संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे, ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके।

## विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- एक बार प्रशिक्षण हेतु प्रवेश हो जाने के बाद प्रशिक्षण पूरा होने तक किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण सामान्यतः न किया जाए।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण और परीक्षा केवल 'इनस्क्रिप्ट' की बोर्ड ले-आउट पर होगी, जो कि भारत सरकार का मानक की-बोर्ड है।
- किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय कृपया हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी अपना ई-मेल व मोबाइल नंबर अवश्य सूचित करें, जिससे यथा आवश्यक संपर्क करने में सुविधा हो।

भवदीया,



(अनीता)


उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)

ई-मेल- [ddts-hts-nc-dol@nic.in](mailto:ddts-hts-nc-dol@nic.in)

मोबाईल- 7416551976

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
4. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
5. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. राज्यसभा/लोक सभा सचिवालय।
9. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
10. केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली।
11. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
13. निदेशक (नीति एवं समन्वय), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
17. संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक (टंकण/आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
18. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि वे तदनुसार परीक्षा की व्यवस्था करें।
19. सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम/पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली/गुवाहाटी/चेन्नै/नवी मुंबई/कोलकाता।
20. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (पूर्व/पूर्वोत्तर एवं पश्चिम/दक्षिण), कोलकाता/नवी मुंबई।
21. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
22. सहायक निदेशक (टं.आ.), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/जम्मू/चंडीगढ़/कानपुर/जबलपुर।
23. सहायक निदेशक (टं.आशु), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक एवं वेबसाइट अपडेट नोडल अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, अंत्योदय भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली।



(अनीता)

उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)

ई-मेल- [dts-hts-nc-dol@nic.in](mailto:dts-hts-nc-dol@nic.in)

मोबाईल- 7416551976

नई दिल्ली स्थित हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

| क्र.सं. | प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता  | सहायक निदेशक का नाम व दूरभाष  | कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी   | प्रशिक्षण का माध्यम |
|---------|--|---|--|---------------------|
| 1.      | डाक भवन<br>कमरा नं. 109-बी,<br>प्रथम तल, डाक भवन,<br>संसद मार्ग,<br>नई दिल्ली-110001         | श्री बाबू राम वोहरा<br>दूरभाष 8586987754<br><a href="mailto:chti1052@nic.in">chti1052@nic.in</a>  | डाक भवन, पटेल भवन, निर्वाचन<br>सदन, संचार भवन, कनाट प्लेस,<br>संसद मार्ग तथा आसपास के सभी<br>कार्यालय बैंक आदि                               | कंप्यूटर पर         |
| 2.      | रामकृष्ण पुरम<br>ईस्ट ब्लॉक-2, लेवल-1,<br>रामकृष्णपुरम,<br>नई दिल्ली-110066                  | श्री चरणजीत वर्मा<br>दूरभाष 26186035<br>मो.8586883381<br><a href="mailto:chti1056@nic.in">chti1056@nic.in</a><br><a href="mailto:charanjeet_verma1965@yahoo.com">charanjeet_verma1965@yahoo.com</a> | रामकृष्णपुरम और आसपास<br>स्थित सभी कार्यालय  | कंप्यूटर पर         |
| 3.      | संघ लोक सेवा आयोग<br>अतिथिगृह भवन,<br>भूतल, धौलपुर हाउस,<br>शाहजहां रोड,<br>नई दिल्ली-110069 | श्री महेन्द्र कुमार<br>दूर. 23098591/4711<br>मो.7988712415<br><a href="mailto:chti1061@nic.in">chti1061@nic.in</a>  | संघ लोक सेवा आयोग, लोक<br>नायक भवन, अकबर रोड<br>हटमेंट्स, जामनगर हाउस,<br>केन्द्रीय कार्यालय परिसर,<br>आई.टी.ओ. तथा आसपास के<br>सभी कार्यालय | कंप्यूटर पर         |
| 4.      | रेल भवन<br>कमरा नं. 564 जे<br>रेल भवन,<br>नई दिल्ली-110001                                   | श्रीमती विनीता तिवारी<br>दूरभाष 23215045<br>मो. 8368432321<br><a href="mailto:chti1071-dol@nic.in">chti1071-dol@nic.in</a>  | रेल भवन, नॉर्थ ब्लॉक, कृषि<br>भवन, शास्त्री भवन, श्रम शक्ति<br>भवन तथा आसपास के कार्यालय   | कंप्यूटर पर         |
| 5.      | रामकृष्णपुरम<br>ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6<br>नई दिल्ली-110066                                     | श्री अनिल कुमार<br>दूरभाष 26175246<br>मो. 8851076482<br><a href="mailto:anilbaghel2337@gmail.com">anilbaghel2337@gmail.com</a><br><a href="mailto:chti1077-cthi@gov.in">chti1077-cthi@gov.in</a>    | रामकृष्णपुरम और आसपास<br>स्थित सभी कार्यालय  | कंप्यूटर पर         |
| 6.      | निर्माण भवन<br>कमरा नं. 203,<br>दूसरा तल, एफ विंग,<br>नई दिल्ली-110011                       | श्री विकास कुमार<br>मोबाइल 9761407293<br><a href="mailto:Vikasair541@gmail.com">Vikasair541@gmail.com</a><br><a href="mailto:chti1078-cthi@gov.in">chti1078-cthi@gov.in</a>                         | निर्माण भवन, उद्योग भवन, वायु<br>भवन, सेना भवन, साउथ ब्लॉक,<br>राष्ट्रपति भवन, विदेश मंत्रालय<br>तथा आसपास के सभी कार्यालय                   | कंप्यूटर पर         |
| 7..     | नीति भवन<br>कमरा नं. 427-सी,<br>संसद मार्ग, चतुर्थ तल, नई<br>दिल्ली 110001                   | श्री वरुण कुमार<br>दूरभाष 23042529<br>मो. 9837736242<br><a href="mailto:Varunlakra2467@gmail.com">Varunlakra2467@gmail.com</a><br><a href="mailto:chti1083-cthi@gov.in">chti1083-cthi@gov.in</a>    | नीति भवन, आकाशवाणी, रिजर्व<br>बैंक, श्रम शक्ति भवन, परिवहन<br>भवन, संसद मार्ग तथा आसपास<br>के सभी कार्यालय                                   | कंप्यूटर पर         |



**हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर) के अंतर्गत नई दिल्ली से बाहर स्थित हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी  
टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों की सूची**

| क्र.सं. | प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता  | सहायक निदेशक का नाम व दूरभाष   | प्रशिक्षण का माध्यम |
|---------|--|--|---------------------|
| 1.      | हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, 1005 नव आदर्श कॉलोनी, एम.आर.4 रोड, जबलपुर (मप्र) 482001               | श्री घनश्याम प्रसाद नामदेव<br>दूरभाष 09703239649<br><a href="mailto:chti1065@nic.in">chti1065@nic.in</a>   | कंप्यूटर पर         |
| 2.      | हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, 5वां तल, केंद्रीय सदन, सेक्टर 9ए, चंडीगढ़ 160009                      | श्री अरविंद कुमार<br>दूरभाष 09445916010<br><a href="mailto:chti1069@nic.in">chti1069@nic.in</a>  | कंप्यूटर पर         |
| 3.      | हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, सेक्टर 06, बाबलियाना रोड, दुर्गा मंदिर के पास, गंग्याल जम्मू 180010   | श्री संतोष कुमार<br>दूरभाष 08962655337<br><a href="mailto:chti1072-dol@nic.in">chti1072-dol@nic.in</a>   | कंप्यूटर पर         |
| 4.      | हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, सी.क्यू.ए. (जीएस), छावनी अस्पताल के सामने, मीरपुर कैंट, कानपुर 208004 | श्री नवाज शरीफ<br>दूरभाष 08057486877<br><a href="mailto:nawazksp@gmail.com">nawazksp@gmail.com</a><br><a href="mailto:chti1079-chti@gov.in">chti1079-chti@gov.in</a> | कंप्यूटर पर         |

**ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स**

**स्टेप-1**



सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट **www.onlinesbi.com** ओपन करें, फिर **STATE BANK COLLECT** उप-शीर्षक पर जाएँ।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट **www.onlinesbi.com** के मुख्य शीर्षक **STATE BANK OF INDIA** पर क्लिक करें, फिर **STATE BANK COLLECT** नामक उप-शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

**स्टेप-2**



**STATE OF CORPORATE/INSTITUTION** में **ALL INDIA** का चयन करें, उसके बाद **TYPE OF CORPORATE/INSTITUTION** में **GOVERNMENT DEPARTMENT** चुनें एवं **GO** पर क्लिक करें।

**स्टेप-3**



**GOVERNMENT DEPARTMENT** का नाम वाले कॉलम के पुल-डाउन मेन्यू से **HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA** का चयन करें।

**स्टेप-4**



**SELECT PAYMENT CATEGORY** में **HINDI TEACHING SCHEME** को चुनें, अब एक फार्म खुल जाएगा।

**स्टेप-5**



फार्म को भरने के बाद **SUBMIT** करें, फिर अपने भरे हुए विवरण को **CONFIRM** करके **PAYMENT** करें।

**स्टेप-6**



**PAYMENT** करने के बाद **RECEIPT** के प्रिंट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।

**31-01-2025 को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष  
कर्मचारियों की संख्या**

(कृपया इसे अनिवार्य रूप से भरें)

| हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण | हिंदी आशुलिपि |
|------------------------------|---------------|
|                              |               |

अधिकारी का नाम.....

कार्यालय का नाम व पूरा पता .....

.....

दूरभाष .....

ई-मेल आई-डी .....

हिंदी शिक्षण योजना

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी 2025 - जुलाई 2025 एवं

हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी 2025 - जनवरी 2026

सभी विवरण अनिवार्य रूप से भरें

परीक्षार्थी की स्थिति : नियमित/प्राइवेट

| क्र.सं. | प्रशिक्षार्थी का विवरण (हिंदी में)  | Details of Scholars (In English Capital Letters)   |
|---------|---|--|
| 1.      | प्रशिक्षार्थी का नाम :  | Name of candidate:   |
| 2.      | लिंग (स्त्री/पुरुष) :   | Gender (F/M):  |
| 3.      | पिता/पति का नाम :   | Name of Father's/Husband's:  |
| 4.      | प्रशिक्षार्थी का पदनाम :  | Designation of trainee:  |
| 5.      | मातृभाषा :  | Mother tongue:   |
| 6.      | हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर<br>स्नातकोत्तर/स्नातक/इंटरमीडिएट/दसवीं/<br>आठवीं/पांचवीं/प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ | Knowledge of Hindi:<br>Post Graduate / Graduate / Intermediate/ Tenth/<br>Eighth / Fifth / Prabodh / Praveen / Pragyaa |
| 7.      | मंत्रालय :  | Name of Ministry:  |
| 8.      | विभाग का नाम :  | Name of Department:  |
| 9.      | कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष :   | Full office address with phone number:   |
| 10.     | नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम,<br>ईमेल :  | Name, Designation & Email of the Nominating<br>Officer:  |
| 11.     | प्रशिक्षार्थी की ई-मेल आईडी (कार्यालय अथवा<br>व्यक्तिगत) <b>केपीटल अक्षर</b>                                | Candidate's E-mail ID (Official or personnel): <b>Capital<br/>Letters.</b>   |
| 12.     | दूरभाष/मोबाइल/W   | Tel./Mobile/W  |
| 13.     | <b>आधार संख्या : अनिवार्य</b>   | Aadhar No. <b>Mandatory</b>  |
| 14.     | परीक्षा शुल्क विवरण :<br>(केंद्र सरकार के निगम/निकाय/उपक्रम तथा राष्ट्रीयकृत<br>बैंक के लिए)                | Exam Fee Details:<br>Amount<br>Draft No. & Date<br>Name of Branch  |

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

नामित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (मोहर सहित)